

राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर-302016

क्रमांक:-वरि. अति. निदे./सतर्कता/2021-22/ 6936

दिनांक:- 5/11/2022.

परिपत्र-01/2022

विषय :— मा० लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ:—सतर्कता अनुभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक 3136-85/ 18.11.2019 के क्रम में।

प्रायः देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के मृत्यु /सेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा उनके आश्रितों को राज्य बीमा/सामान्य प्रावधार्यी निधि, एनपीएस एवं अन्य योजनाओं के तहत पूर्ण भुगतान नहीं हो पाता है। राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग द्वारा दावों का पूर्ण भुगतान नहीं होने का मुख्य कारण अभिदाताओं के बीमा एवं जीपीएफ के कटौति पत्र, चालान प्रति, जीए 55ए, जीपीएफ पासबुक/बीमा रिकॉर्ड बुक में कटौतियों का इन्द्राज नहीं होना है। उक्त दावा निस्तारण करते समय लुप्त/अप्राप्त कटौतियों की राशि को काटकर शेष का भुगतान कर दिया जाता है। अभिदाताओं द्वारा बाद में कटौति पत्र/चालान प्रति, जीए 55ए इस विभाग को उपलब्ध कराने पर काटी गयी राशि का अवशेष भुगतान किया जाता है। अभिदाता के पास लुप्त कटौतियों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उक्त सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्राप्त करने में अत्यधिक समय लगता है। दावा निस्तारण के समय सम्पूर्ण राशि एक बार में प्राप्त न होने के कारण अभिदाताओं द्वारा आरटीआई.सी.एम. हेल्पलाइन, राज्य मानवाधिकार आयोग, मा० लोकायुक्त में परिवाद दर्ज करवाया जाता है। अभिदाता/बीमेदार, आहरण एवं वितरण अधिकारी से मांगी गई सूचना नहीं मिलने पर बीमा विभाग भुगतान करने में असमर्थ रहता है। फलस्वरूप दर्ज परिवाद का निस्तारण होने में काफी विलम्ब हो जाता है जो कि वित्ता का विषय है।

माननीय लोकायुक्त सचिवालय ने लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण नहीं होने पर असन्तोष जाहिर करते हुए लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने एवं भविष्य में ऐसे प्रकरण उत्पन्न न हो के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये हैं।


अतः इस संबंध में समस्त मुख्यालय/संभागीय/जिला कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि—

- दावा प्राप्त होने पर समस्त दस्तावेजों की पूर्ण जाँच करें।
- लुप्त/अप्राप्त कटौतियों का विवरण अंशदाता/मनोनीत को उपलब्ध करवाया जावे एवं इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया जावें।
- अवशेष राशि के प्रकरणों हेतु रजिस्टर संधारित किया जाये। प्रकरण के प्रथम बार प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर आहरण एवं वितरण अधिकारी/अंशदाता से निरन्तर सम्पर्क कर अप्राप्त/लुप्त

कार्यवाही का विवरण प्राप्त कर अवशेष राशि का भुगतान किया जाये ताकि राज्य मानवाधिकार आयोग
मा० लोकायुक्त सचिवालय में अनावश्यक परिवाद दर्ज न हो।

- सम्पर्क पोर्टल, मा० लोकायुक्त तथा अन्य मंचों पर दर्ज परिवाद को तुरन्त निस्तारण करवाने की कार्यवाही करें।
- मा० लोकायुक्त सचिवालय में दर्ज परिवादों का जवाब नियत तिथि से 5 दिन पूर्व प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
- सिस्टम अनुभाग मुख्यालय ऐसे प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र करावें।
- जिला सतर्कता/जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में ऐसे प्रकरणों बाबत बैठक एजेण्डा बिन्दु में शामिल करावाया जावें।

संलग्नः—परिपत्र दिनांक 18.11.2019


(श्रीमती कल्पना अग्रवाल)

निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—वरि. अति. निदे./सतर्कता/2019–20/ ६९३१—६९९०

दिनांक ५/१/२०२२

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव, मा० लोकायुक्त, शासन सचिवालय परिसर, जयपुर (राज०) को दिनांक 28.12.2021 की बैठक के निर्देशों की अनुपालना के सन्दर्भ में।
2. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक सिस्टम को भेजकर लेख है कि एस.आई.पी.एफ. पोर्टल के न्यु वर्जन पर अवशेष भुगतान हेतु शीघ्र यूटिलिटी उपलब्ध करवाई जावे ताकि जिला कार्यालयों द्वारा शीघ्र भुगतान किया जा सके।
4. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।


05/01/2022

(किशनाराम ईशरवाल)

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)

राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर-302016

क्रमांक:-वरि. अति. निदे./सतर्कता/2019-20/3136/85

दिनांक १४। १। १९

परिपत्र

विषय :- मा० लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त प्रकरणों के संबन्ध में।

माननीय लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त परिवादों की समीक्षा करने पर पाया गया है कि अधिकाश प्रकरण जीपीएफ अवशेष राशि के भुगतान से सम्बन्धित हैं। इन प्रकरणों में स्वत्व निस्तारित करते समय लुप्त/अप्राप्त कटौतियां काट कर स्वत्व राशि का भुगतान किया गया है एवं अधिकार पत्र जारी किये जाते समय काटी गई राशि का कोई विवरण अंशदाता को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। मुख्यालय द्वारा अंशदाता/मनोनीत को काटी गई राशि का पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। किन्तु जिला कार्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। RTI एवं अन्य स्त्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर अंशदाता/मनोनीत द्वारा जिला कार्यालयों को अवशेष राशि के भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। जिला कार्यालयों द्वारा अवशेष राशि के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरणों में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/अंशदाता को वांछित जीए 55ए प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर प्रकरण की इतिश्री कर दी जाती है। समुचित निस्तारण नहीं होने पर अंशदाता द्वारा राज० सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज करवाया जाता है किन्तु लुप्त/अप्राप्त कटौतियों के सत्यापन के अभाव में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाकर जीए 55ए की मांग की जाती है। जिला कार्यालयों द्वारा परिवादी की शिकायत का समुचित निराकरण नहीं होने के कारण जिससे निरन्तर मा० लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त परिवादों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अंशदाता द्वारा मा० लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद दर्ज करवाया जाता है।

अतः इस संबन्ध में समस्त संभागीय/जिला कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि—

- लुप्त/अप्राप्त कटौतियों का विवरण अंशदाता/मनोनीत को उपलब्ध करवाया जाये।
- अवशेष राशि के प्रकरणों हेतु नियमित रजिस्टर संधारित किया जाये। प्रकरण के प्रथम बार प्राप्त होने पर रजिस्टर में दर्ज कर निरन्तर आहरण एवं वितरण अधिकारी/अंशदाता से सम्पर्क कर अप्राप्त/लुप्त कटौतियों का विवरण प्राप्त कर अवशेष राशि का भुगतान किया जाये जिससे मा० लोकायुक्त सचिवालय में अनावश्यक परिवाद दर्ज न की जाये।
- मा० लोकायुक्त सचिवालय के परिवादों की निश्चित जवाब तिथि से 5 दिन पूर्व प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट इस मुख्यालय को भेजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। उक्त परिपत्र की आवश्यक रूप से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

रा० न८ (१५।१९।१९)

(आनन्द स्वरूप IRS)

निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक

क्रमांक:-वरि. अति. निदे./सतर्कता/2019-20/

1. निजि सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, मुख्यालय/संभाग/साबीयो/जिला कार्यालय राजस्थान।
3. सिस्टम एनालिस्ट/संयुक्त निदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

क्रमांक
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)
राज्य बीमा एवं प्रावधार्यी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

